

**GOVERNMENT OF INDIA (Bharat Sarkar)
MINISTRY OF RAILWAYS (Rail Mantralaya)
(RAILWAY BOARD)**

No.2011/TG-I/20/P/Quota Review

New Delhi, dated | 0 .05.2011

The Chief Commercial Managers,
All Indian Railways.

(Commercial Circular No. 17 of 2011)

Sub: Half yearly review of Reservation Quota allotted at various stations.

Ref: Board's letters

- (i) No.99/TGI/20/P dated 21.04.1999
- (ii) D.O. No.2002/TG.I/11/P dated 21.05.2002.
- (ii) No.2006/TG.I/20/P/Quota Review dated 12.10.2006
- (iii) No.2009/TG.I/20/P/Quota dated 28.01.2010

As per the system requirement (as contained in Board's letter at (i)), the distribution of reservation quota in a train is done by the Zonal Railway concerned keeping in view the availability of accommodation and demand pattern and this quota is required to be reviewed periodically and adjustment made wherever required on the basis of its utilization as contained in the instructions issued from time to time vide letters referred to above for review of reservation quota.

2. However, while going through the occupancy of trains as extracted from Dataware House, it has been observed that in a large number of trains, full earning potential is not getting achieved despite full occupancy. Further, in a large number of trains, there is very wide variation between occupancy percentage and percentage of earning potential achieved. For example, in some trains utilization is more than 200% whereas earning potential being achieved is around 80%. A sample list of such trains is enclosed. This means that the quotas of such trains need a thorough review.

3. Under the circumstances, following instructions are issued for strict compliance:

- i. Zonal Railways should periodically review utilisation of all types of Reservation Quotas provided in all the trains of their system in phased manner by using PPM Cells, for the utilisation analysis on the basis of reports available in Dataware House of CRIS.
- ii. An action plan should be prepared by Zonal Railways with a month-wise list of trains to be reviewed so as to cover all trains within a period of six months; and review cycle repeated thereafter.
- iii. In the first phase, those trains with lower earning potential (less than 60%) despite high level of occupancy and those having wide variation between occupancy and earning potential being achieved should be taken up for review and adjustments in the quota should be made with a view to maximize the earnings.

- iv. In the second phase, the remaining trains should be taken up for review of Reservation Quota so as to maximize the occupancy as well earnings.
- v. Feedback on the action taken may be sent to this office in the following proforma every month so as to reach this office by 10th of the following month to which the figures relate. The first such statement should come in June, 2011, and exercise should continue thereafter also.

| Total No. of trains available | No. of trains reviewed | No. of trains where adjustment made (Train wise details to be attached separately) | Class wise details of no. of berths/seats reduced/enhanced [(-) / (+)] | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 1A | EC | 2A | 3A | CC | 3E | SL | 2S |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

4. Please acknowledge the receipt of this letter.

Encl: As above.


09/05/10

(V.K. Sharma)
Director Traffic Commercial (G)-II
Railway Board.

**LIST OF TRAINS IN WHICH THERE IS WIDE VARIATION BETWEEN
PERCENTAGE OCCUPANCY AND PERCENTAGE EARNING POTENTIAL BEING
ACHIEVED.**

(PERIOD - 01.04.2010 TO 28.02.2011)

| S.No. | Train No. | Class | % occupation | % Earning Potential being achieved |
|-------|-----------------------------|-------|--------------|------------------------------------|
| 1. | 13020 Bagh Exp | 2A | 168.48 | 82.91 |
| 2. | 11124 Gwalior - Barauni Exp | 2A | 137.46 | 67.3 |
| 3. | 13414 Farkka Express | 3A | 143.1 | 75.8 |
| 4. | 16127 MAS - Guruvayur Exp | 3A | 217.26 | 83.66 |
| 5. | 18101 Tata - JammuTawi Exp | 2A | 175.45 | 81.21 |
| 6. | 11464 JBP - SMNH Exp | 2A | 161.77 | 88.15 |
| 7. | 12466 Intercity Exp | CC | 142.74 | 77.42 |
| 8. | 12925 Paschim Exp | 1A | 146.6 | 77.47 |
| 9. | 19215 Saurashtra Exp | 3A | 167.94 | 78.87 |
| 10. | 18645 East Coast Exp | 2A | 157.74 | 86.87 |
| 11. | 17405 Krishna Exp | CC | 106.2 | 44.97 |
| 12. | 12875 Neelachal Exp | 2A | 141.27 | 76.31 |
| 13. | 13307 Ganga Sutej Exp | 3A | 152.36 | 76.33 |
| 14. | 14309 Ujjaini Exp | 3A | 136.47 | 74.77 |
| 15. | 16650 Parasuram Exp | CC | 124.14 | 62.88 |
| 16. | 13006 ASR-HWH Mail | 2A | 149.8 | 89.38 |
| 17. | 14055 Brahmaputra Mail | 2A | 153.15 | 88.62 |

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2011/टीजी-1/20/पी/कोटा रिव्यू

नई दिल्ली, दिनांक: 10.05.2011

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें।

(2011 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 17)

विषय: विभिन्न स्टेशनों पर आबंटित आरक्षण कोटे की अर्ध-वार्षिक समीक्षा।

संदर्भ: बोर्ड के पत्र

- (i) सं. 99/टीजी-1/20/पी दिनांक 21.04.1999.
- (ii) अ. शा. सं. 2002/टीजी-1/11/पी दिनांक 21.05.2002.
- (iii) सं. 2006/टीजी-1/20/पी/कोटा रिव्यू दिनांक 12.10.2006.
- (iv) सं. 2009/टीजी-1/20/पी/कोटा दिनांक 28.01.2010.

प्रणाली की आवश्यकता के अनुसार (जैसा कि बोर्ड के (i) पर दिए गए पत्र में अंतर्विष्ट है), गाड़ी में आरक्षण कोटे का वितरण संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा स्थान की उपलब्धता तथा मांग पैटर्न को ध्यान में रखते हुए किया जाता है तथा इस कोटे की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी अपेक्षित होती है तथा इसके उपयोग के आधार पर जहां कहीं अपेक्षित हो, समायोजन किए जाते हैं, जैसा कि आरक्षण कोटे की समीक्षा के लिए उपर्युक्त संदर्भित पत्रों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों में अंतर्विष्ट है।

2. बहरहाल, डेटावेयर हाउस से ली गई गाड़ियों की ऑक्यूपेंसी से यह देखा गया है कि काफी संख्या में गाड़ियों में, पूरी ऑक्यूपेंसी के बावजूद पूरी संभावित आमदनी प्राप्त नहीं हो रही है। इसके अलावा, काफी संख्या में गाड़ियों में, ऑक्यूपेंसी प्रतिशत तथा प्राप्त की गई संभावित आमदनी के प्रतिशत के बीच बहुत अधिक अंतर है। उदाहरण के लिए, कुछ गाड़ियों में उपयोग 200% से अधिक है जबकि प्राप्त की जा रही संभावित आमदनी लगभग 80% है। ऐसी गाड़ियों की नमूना सूची संलग्न है। इसका अर्थ है कि ऐसी गाड़ियों के कोटों की पूरी समीक्षा करना आवश्यक है।

3. इन परिस्थितियों में, निम्नलिखित अनुदेश कड़े अनुपालन के लिए जारी किए जाते हैं:-

- i. क्षेत्रीय रेलें, क्रिस के डेटावेयर हाउस में उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर उपयोग के विश्लेषण के लिए पीपीएम सैलों का इस्तेमाल करके चरणबद्ध तरीके से अपनी प्रणाली की सभी गाड़ियों में मुहैया किए गए सभी प्रकार के आरक्षण कोटों के उपयोग की आवधिक रूप से समीक्षा करें।

-2-

- ii. क्षेत्रीय रेलों द्वारा एक कार्य योजना बनाई जाए जिसमें समीक्षा की जाने वाली गाड़ियों की महीने-वार सूची इस प्रकार बनाई जाए कि 6 महीने की अवधि के भीतर सभी गाड़ियों की समीक्षा की जा सके तथा उसके बाद समीक्षा साइकल दोबारा से दोहराया जाए।
- iii. पहले चरण में, उन गाड़ियों की समीक्षा की जानी चाहिए जिनमें ऑक्ज्यूपेंसी के उच्च स्तर की होने के बावजूद आमदनी की संभावना कम है (60% से कम) तथा जिनमें ऑक्ज्यूपेंसी और प्राप्त की जा रही संभावित आमदनी के बीच काफी अंतर है तथा अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करने की दृष्टि से कोटे में समायोजन किया जाए।
- iv. दूसरे चरण में, शेष गाड़ियों में आरक्षण कोटे की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि ऑक्ज्यूपेंसी तथा आमदनी को अधिकतम बढ़ाया जा सके।
- v. की गई कार्रवाई पर फीडबैक निम्नलिखित प्रोफार्मा में हर महीने इस कार्यालय में भेजी जाए जो उस महीने जिससे आंकड़े संबद्ध हैं, के अगले महीने की 10 तारीख तक इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। ऐसा पहला विवरण जून 2011 में भेजा जाएगा तथा उसके बाद भी इसे जारी रखा जाए।

| उपलब्ध गाड़ियों की कुल सं. | समीक्षा की गई गाड़ियों की सं. | उन गाड़ियों की सं. जिनमें समायोजन किए गए (गाड़ी-वार ब्योरे अलग से संलग्न किए जाएं) | कम की गई/बढ़ाई गई शायिक्राओं/सीटों की संख्या के क्लास-वार ब्योरे [(-)/(+)] | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--|--|-----|----|----|------|----|------|-----|
| | | | 1ए | ईसी | 2ए | 3ए | सीसी | 3ई | एसएल | 2एस |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

4. कृपया इस पत्र की पावती दें।

संलग्नक: यथोक्त।

वी.के. शर्मा

(वी.के. शर्मा)

निदेशक याता.वाणि. (सा.)II

रेलवे बोर्ड।

उन गाड़ियों की सूची जिनमें ऑक्ज्यूपेंसी के प्रतिशत तथा प्राप्त की जा रही संभावित यातायात के प्रतिशत में काफी अंतर है।

(अवधि 01.04.2010 से 28.02.2011)

| क्र.सं. | गाड़ी सं. | श्रेणी | % ऑक्ज्यूपेंसी | प्राप्त की जा रही संभावित आमदनी का % |
|---------|----------------------------------|--------|-------------------|---|
| 1. | 13020 बाघ एक्सप्रेस | 2 ए | 168.48 | 82.91 |
| 2. | 11124 ग्वालियर-बरोनी एक्सप्रेस | 2 ए | 137.46 | 67.3 |
| 3. | 13414 फरक्का एक्सप्रेस | 3 ए | 143.1 | 75.8 |
| 4. | 16127 मन्नार-गुरुवधूर एक्सप्रेस | 3 ए | 217.26 | 83.66 |
| 5. | 18101 टाटा-जम्मूतवी एक्सप्रेस | 2 ए | 175.45 | 81.21 |
| 6. | 11464 जबलपुर-सोमनाथ एक्सप्रेस | 2 ए | 161.77 | 88.15 |
| 7. | 12466 इंटरसिटी एक्सप्रेस | सीसी | 142.74 | 77.42 |
| 8. | 12925 पश्चिम एक्सप्रेस | 1 ए | 146.6 | 77.47 |
| 9. | 19215 सौराष्ट्र एक्सप्रेस | 3 ए | 167.94 | 78.87 |
| 10. | 18645 ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस | 2 ए | 157.74 | 86.87 |
| 11. | 17405 कृष्णा एक्सप्रेस | सीसी | 106.2 | 44.97 |
| 12. | 12875 नीलाचल एक्सप्रेस | 2 ए | 141.27 | 76.31 |
| 13. | 13307 गंगा सतलुज एक्सप्रेस | 3 ए | 152.36 | 76.33 |
| 14. | 14309 उज्जैनी एक्सप्रेस | 3 ए | 136.47 | 74.77 |
| 15. | 16650 परसुराम एक्सप्रेस | सीसी | 124.14 | 62.88 |
| 16. | 13006 अमृतसर-हावड़ा मेल | 2 ए | 149.8 | 89.38 |
| 17. | 14055 ब्रह्मपुत्र मेल | 2 ए | 153.15 | 88.62 |